भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4882

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चमड़ा पार्क की स्थापना

4882. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित चमड़ा पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनके स्थान, किए गए निवेश और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चमड़ा पार्कों की स्थापना के लिए नए स्थानों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चमड़ा पार्कों में निवेश आकर्षित करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन या राजसहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में इन चमड़ा पार्कों के माध्यम से किए गए निर्यात और घरेलू उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में चमड़ा पार्क स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत सरकार ने 1700 करोड़ रुपए के आबंटन से केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 'भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम' (आईएफएलडीपी) को वर्ष 2021-26 की अवधि या अगली समीक्षा, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। आईएफएलडीपी की उप-स्कीमों में से एक, 'मेगा लेदर फुटवियर और सहायक सामग्री क्लस्टर विकास (एमएलएफएसीडी)' का उद्देश्य, विश्व स्तरीय अवसंरचना का सृजन करना और उत्पादन श्रृंखला को इस प्रकार एकीकृत करना है कि यह चमड़ा और घरेलू फुटवियर

उद्योग बाजार तथा निर्यात की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

आईएफएलडीपी की एमएलएफएसीडी उप-स्कीम के तहत 5 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं। स्थान, विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी), विस्तार, कुल अनुमोदित परियोजना लागत और भारत सरकार की हिस्सेदारी का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है। अनुमोदित परियोजनाओं में भारत सरकार की हिस्सेदारी पहले ही उप-स्कीम के अनुमोदित परिव्यय से अधिक हो चुकी है। आईएफएलडीपी की उप-स्कीम की अवधि मार्च 2026 तक है। इसलिए, इस उप-स्कीम के तहत किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग): चमड़ा क्लस्टरों में निवेश आकर्षित करने के लिए आईएफएलडीपी के तहत एमएलएफएसीडी उप-स्कीम को कार्यान्वित किया गया है। भारत सरकार, भूमि विकास, मूलभूत अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना, रेडी-टु-यूज शेड सहित तैयार सुविधा, आरएंडडी सहायता और निर्यात सेवाओं के साथ उत्पादन सुविधाओं के लिए भूमि की लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर (पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परियोजना लागत के 70 प्रतिशत की दर) से चरणबद्ध सहायता उपलब्ध कराती है, जिसमें एमएलएफएसीडी के तहत अधिकतम सरकारी सहायता 125 करोड़ रुपए तक सीमित है।

(घ): ये परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, और इसलिए इन परियोजनाओं के जरिए कोई उत्पादन अथवा निर्यात नहीं हुआ है।

(ङ) नेशलन सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के अनुसार, आंध्र प्रदेश से आईएफएलडीपी की एमएलएफएसीडी उप-स्कीम के तहत ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4882 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मेगा लेदर फुटवियर और सहायक सामग्री क्लस्टर विकास (एमएलएफएसीडी)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**एसपीवी**	**कुल भूमि क्षेत्र (एकड़)**	**कुल अनुमोदित परियोजना लागत**	**भारत सरकार की अनुमोदित हिस्सेदारी**
1	महवल, मुजफ्फरपुर, बिहार	बीआईएडीए	62.17	140.95	70.00
2	मुरैना, मध्य प्रदेश	एमपीआईडीसी	157.00	222.81	106.185
3	रतवाड़, रायगढ़, महाराष्ट्र	एमआईडीसी	153.13	256.42	125.00
4	पानापक्कम, रानीपेट, तमिलनाडु	सिपकोट	347.69	271.33	125.00
5	रमईपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश*	एमएलसीएलडी	240.00	402.12	125.00
कुल				**1293.63**	**551.185**

*सैद्धांतिक अनुमोदन

*****